तारीख	कार्यवाही
20/8/25	पक्षकारान उप. । जवाब पेश कर सरकार अप्रार्थी जवाब पेश हो। पत्रावली वास्ते पेश करने जवाब सरकार दि. 19/9/25 को पेश होवे
13/9/25	[illegible] अधिवक्ता [illegible] उपस्थित है। [illegible] अधिवक्तागण [illegible] पर है। अतः [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 12/11/2025 पेश हो
12/11/2025	पक्षकारान उप. । बहस प्रा. पत्र सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 25/11/25 को पेश हो।
25/11/2025	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। मूल रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी ख.सं. 217 रकबा 0.8094 हैक्ट0 वाके ग्राम कसालिया पटवार हल्का राजपुरा तहसील तालेडा जो कि घासीलाल के पुत्रों द्वारा नन्दा व उसकी पत्नी भवानी बाई द्वारा प्रार्थीगण के पिता घासीलाल को गोद पुत्र बनाने से भवानी बाई के कब्जे खाते की भूमि पर उत्तराधिकारी के रूप में अपना नाम दर्ज रिकोर्ड करवाये जाने बाबत् पेश किया। जिस पर अप्रार्थी सं. 1 भवाना द्वारा फर्जी एवं कुटरचित वसीयत नामा बना कर वसीयत नामें के आधार पर जो कि अवैधानिक व गैर कानूनी होने से प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के दर्ज भूमि को निरस्त करते हुऐ घासीलाल के वारिसान प्रार्थीगण का नाम दर्ज रिकोर्ड करने हेतु निवेदन किया गया। साथ ही मूल वाद के निस्तारण तक वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण को बेदखल नही करने, शान्तिपूर्वक कब्जे कास्त में हस्तक्षेप नही करने एवं खनन कार्य नही करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के लिए निवेदन किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भवानी बाई नन्दा जी की दुसरी पत्नी थी। नन्दा जी की पहली पत्नी रतनी बाई व दुसरी पत्नी भवानी बाई के नन्द के बुत्के से कोई संतान पैदा नही हुई। वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 की उक्त भूमि का विधिवत खातेदार है। अप्रार्थी किसी घासी वल्द नन्दा को नही जानता। भवानी व

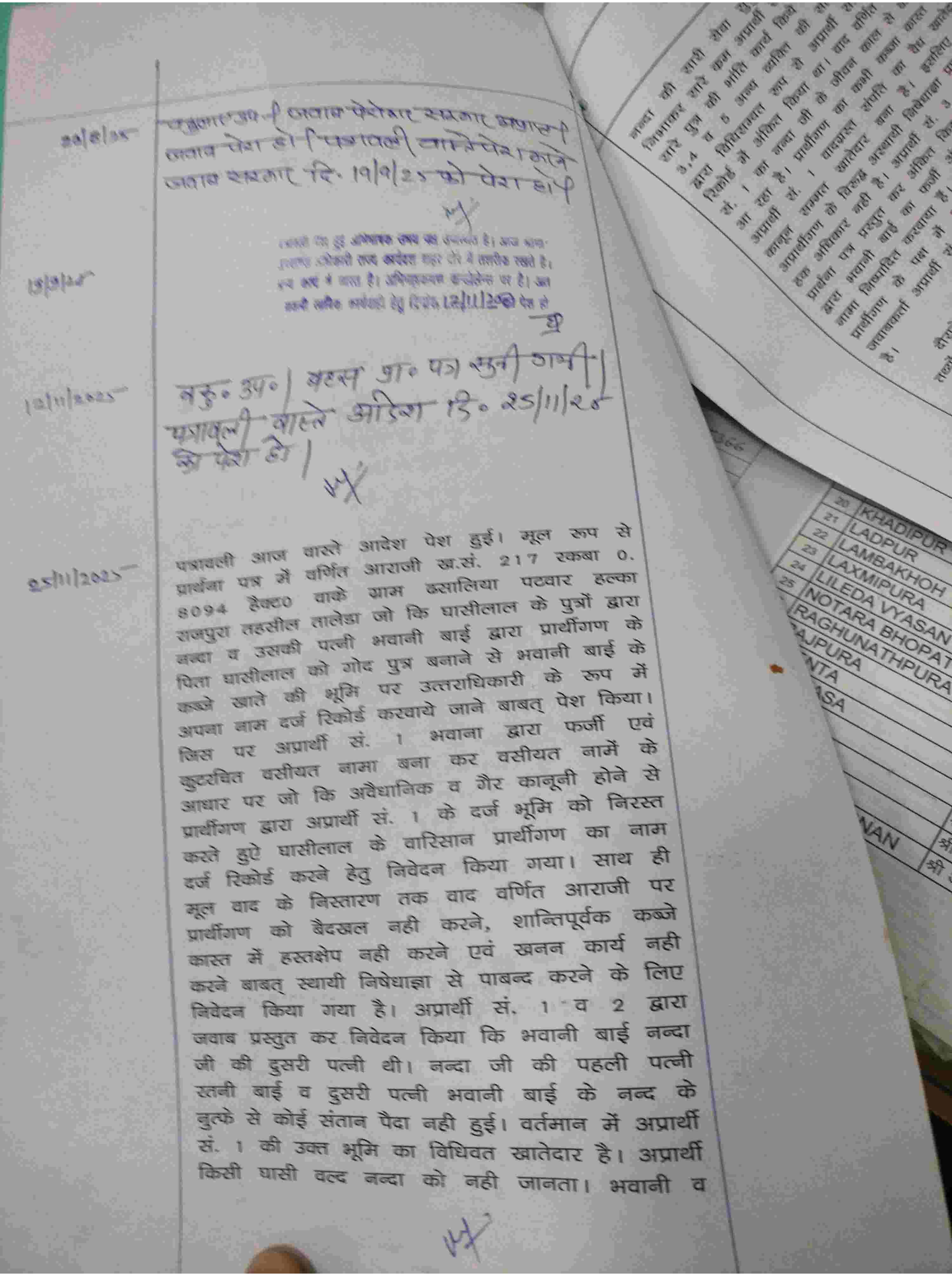

प्र.सं. ________ / दावा / प्र.पत्र / ________

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नन्दा की सारी सेवा सुश्रुषा व देखभाल पुत्र का दायित्व निभाकर सारे कम अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा ही की गई व सारे पुत्र की भांति कार्य किये तथाकथित तीनों अप्रार्थी क्रम 3,4 व 5 अन्य व्यक्ति की संताने है। तहसीलदार डाबी द्वारा विधिसम्वत रूप से अप्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रिकोर्ड में अंकित किया था। वाद वर्णित आराजी पर अप्रार्थी सं. 1 का नन्दा जी के जीवन काल से कब्जा कास्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण का कभी कब्जा कास्त नही रहा है। अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त संपति का वैध खातेदार है। जो कानून सम्मत खातेदार बना है। इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थी सं. 3 लगायत 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा भवानी बाई का फर्जी अंगुठा निशानी करके वसीयत नामा निष्पादित करवाया हैं। प्रार्थीगण की प्रार्थना के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में जवाबकर्ता अप्रार्थी सं. 3 लगायत 5 को कोई आपत्ति नही है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि नन्दा व उसकी पत्नी भवानी बाई के कोई संतान नहीं होने से घासीलाल को गोद पुत्र बनाये जाने से घासीलाल नन्दा व भवानी बाई का विधिक वारिस होने से उनकी संपति पर घासीलाल का अधिकार है व प्रार्थीगण घासीलाल के वैध वारिसान होने से नन्दा व भवानी की भूमि पर घासीलाल की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण का नाम दर्ज होना था किन्तु भवाना आ0 काना अप्रार्थी सं. 1 ने फर्जी वसीयत नामे के आधार पर वाद वर्णित आराजी को स्वयं के खाते दर्ज करवा लिया हैं, जिसकी पुष्टि अप्रार्थी कम 3 लगायत 5 ने अपने जवाब में की है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दर्ज नामांतकरण को निरस्त करवाने के लिए श्रीमान संभागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय में अपील की हुई है। अप्रार्थी 1 व 2 प्रार्थीगण को वाद वर्णित आराजी से बेदखल करने, रहन, बैचान करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को ताफेसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील अप्रार्थी 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि नन्दा व भवानी बाई के कोई पुत्र नही था, नन्दा व भवानी बाई के जीवनकाल में ही अप्रार्थी कम 1 को नन्दा व भवानी बाई द्वारा अपनी भूमि संभला दी थी एवं अप्रार्थी कम 1 द्वारा ही नन्दा व भवानी बाई की सेवा सुश्रुषा की गई थी, जिसके फलस्वरूप वसीयत के आधार पर तहसीलदार डाबी द्वारा अप्रार्थी कम 1 का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज	

प्र.सं. ...../ दावा / प्र.पत्र / .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किया गया है। प्रार्थीगण के पिता घासीलाल को गोद लेकर गोद पुत्र नही बनाया गया इसलिए प्रार्थीगण को वाद वर्णित आराजी पर कोई हक अधिकार नही होने से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी के खातेदार मूल पुरुष नन्दा जी जिनकी मृत्यु होने पर उक्त भूमि उनकी विधिक पत्नी भवानी बाई के दर्ज रिकोर्ड हुई। किन्तु भवानी बाई भी लाऔलाद फौत हो जाने से अब उक्त वाद वर्णित आराजी ख.सं. 217 रकबा 0.8094 हैक्ट0 वाके ग्राम ढसालिया पटवार हल्का राजपुरा तहसील तालेडा का कोई विधिक वारिसान नहीं है। प्रार्थीगण अपने पिता घासीलाल को नन्दा व भवानी बाई का गोद पुत्र होने से स्वयं को वाद वर्णित आराजी का विधिक वारिसान घोषित करना चाहते है एवं अप्रार्थी कम 1 स्वयं को नन्दा व भवानी बाई की सेवा सुश्रुषा करने से भवानी बाई द्वारा की गई वसीयत के आधार पर उक्त आराजी का खातेदार होना मानते है। ऐसी स्थिति में वाद वर्णित आराजी का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर निर्धारण होगा जिसके निर्णय में समय लगना संभावित है। यदि वर्तमान में वाद वर्णित आराजी में राजस्व रिकोर्ड के आधार पर अथवा जबरन मौका स्थिति में परिवर्तन होता है तो विवाद बढने की संभावना को मध्येनजर रखते हुऐ वाद वर्णित आराजी ख. सं. 217 रकबा 0.8094 हैक्ट0 वाके ग्राम ढसालिया पटवार हल्का राजपुरा तहसील तालेडा के रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर समस्त पक्षकारान को ताफेसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख.सं. 217 रकबा 0.8094 हैक्ट0 वाके ग्राम ढसालिया पटवार हल्का राजपुरा तहसील तालेडा की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।